सत्यमेव जयते

न्यायालय सहायक कलेक्टर /उपखण्ड अधिकारी/उपखण्ड मजिस्ट्रेट रेलमगरा, जिला–राजसमन्द

प्रकरण : संख्या – 13/18 शीर्षक ..... बनाम .....

दिनांक	कार्यवाही प्रकरण	हस्ताक्षर/ सूचना नं.
24/5/18	पन्नावती यादव लोक अदालत / मोटर केस नम्बर आपने हर 2018 के तहत केस सवारी पर रखी गयी। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी आदि S.S. पारीक उपस्थित। प्रार्थक आदेश 9 नियम 9 का पत्रावली पेश नहीं कर सीधी बहस चाही गयी। उभय पक्ष अधिवक्ता के विस्तृत बहस सुनी गयी। प्रार्थी का प्रा० पत्र आदेश 9 नियम 9 का 500/- रुपये कोस्ट पर स्वीकार किया जाकर मुलवाद पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पन्नावती पैमल शुमार होकर नम्बर 5 काम के नाम के मुलवाद के साथ संलग्न किये जावे।	

सहायक कलेक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा